



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )परावि/प्रशा.1/क.अ./स्थाना.पदस्थापन/2026-85448

जयपुर, दिनांक:-

**—:आदेश:—**

निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ताओं का स्थानान्तरण/पदस्थापन राज्यहित में तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. स.	नाम सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	प्रतिभा सिंह हाडा	पंचायत समिति भवानीमण्डी जिला झालावाड	पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड	अर्पणा श्रृंगी के स्थान पर
2.	हरलाल जांगिड	पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली	पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर	रिक्त पद पर
3.	बृजेश हाडा	पंचायत समिति पिपलखूंट जिला प्रतापगढ	पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ	रिक्त पद पर
4.	अर्पणा श्रृंगी	पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड	पंचायत समिति भवानीमण्डी जिला झालावाड	प्रतिभा सिंह हाडा के स्थान पर
5.	मदन सिंह रावत	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग	पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर
6.	कैलाश कुमार जीनगर	पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर	पंचायत समिति फलौदी जिला फलौदी	रिक्त पद पर
7.	प्रदीप कुमार स्वामी	पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ	पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर
8.	रीता कुरडिया	पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर	पंचायत समिति रतनगढ जिला चुरु	रिक्त पद पर
9.	चतुर चन्द डामोर	पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर	पंचायत समिति धमोत्तर जिला प्रतापगढ	रिक्त पद पर
10.	श्वेता वाजपेयी	पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर	पंचायत समिति झोटवाडा जिला जयपुर	सरोज कुमारी कुमावत के स्थान पर
11.	सरोज कुमारी कुमावत	पंचायत समिति झोटवाडा जिला जयपुर	पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर	श्वेता वाजपेयी के स्थान पर

12.	राजेन्द्र कुमार सेवर	पंचायत समिति बाप जिला फलौदी	पंचायत समिति बावडी जिला जोधपुर	रिक्त पद पर
13.	विनोद कुमार उपाध्याय	पंचायत समिति देवली जिला टोंक	पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर	मनीषा मीणा के स्थान पर
14.	मनीषा मीणा	पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर	पंचायत समिति देवली जिला टोंक	विनोद कुमार उपाध्याय के स्थान पर

उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

**(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)**  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
11. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ताओं को पालनार्थ।